न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

मिसल नं. 1/40/2022 तारीख रजू..........................

सुमन कुलदीप वगैरा

बनाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.02.2022	वकील वादी उपस्थित। आज यह दावा वादी की ओर से वकील वादी श्री राधेश्याम चैाधरी एड0 ने पेश किया। कार्यालय रिर्पोट ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण जरिये रजि0 डाक सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते तलवी प्रतिवादी दिनांक 27.02.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
28/2/22	पत्रावली दिनांक 27.2.22 को अवकाश होने के कारण आज पेश हुई वकील वादी.................उपस्थित। .... [illegible] आदेश दिनांक........9.2.22...... की पालना में पत्रावली वास्ते...तलबी......रजि0 ए.डी. दिनांक........16/5/22..............को पेश हो उपखण्ड अधिकारी [illegible] ([illegible]	
16.5.22	पत्रावली आज वकील वादी/प्रति0 के नजदीक तारीख पेशी आवेदन पत्र पर तलब होकर पेश हुई आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं साथ ही दोनों पक्षों की ओर से वकील वादी/प्रति0 ने राजीनामा पेश किया। शा0 लि0 किया। अतः दावा वकील वादी/प्रतिवादी के राजीनामा के आधार पर दावा आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है, निर्णय पृथक से लिखाया गया जाकर शा0 लि0 किया। अतः इस बाबत तहसीलदार को कुर्क जात तलब करने हेतु अहकाम जारी होकर पत्रावली वास्ते रिपोर्ट कुर्क जात दिनांक 16/6/22 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/6/22 3-6-22 3-6-22	बमुलाहिजा इन्द्राजित पत्रावली पेश के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार होकर आज पेश हुई। कुर्रेजात रिपोर्ट पर दोनों अधिवक्ताओं को सुना गया। दोनों अधिवक्ताओं ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर निर्णय हेतु निवेदन किया। इन्होंने कोई एतराज नहीं जताया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट सहमति के आधार पर दावा आंशिक रूप से डिक्री किया जाता है इस बाबत तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वे उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी सं०-1 के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी बाबत खसरा राजस्व रिकार्ड में अलग अलग खाता कायम करें। तदनुसार पत्र डिक्री जारी हो। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल किया। पत्रावली बाद मय शुमार ... बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व वाद पत्र संख्या 1/140/2022

वउनवान

1. सुमन पुत्री कैलाश पत्नी बनवारीलाल जाति ब्राहमण निवासी टोडाभीम जिला करोली

------ वादिया

बनाम

1. कुलदीप पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी रोनीजाथान
2. नरेश पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी रोनीजाथान
3. नीलम पत्नी कुलदीप जाति ब्राहमण निवासी रोनीजाथान
4. बाबू खांन पुत्र हुसैना खान जाति मेव निवासी रोनीजाथान
5. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर (लैण्ड होल्डर)

----- प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :-

श्री भवानी भांकर शर्मा -अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय

दिनांक 03-06-2022

वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1151 रकवा 0.65 हे. वाके ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी वादिया एंव प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादिया एंव प्रतिवादीगण शामलात में

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे तथा मौके पर काविज है। वादिया ने विवादित आराजी का कानूनी तकासमा करने व दाावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।वादिया व प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर वाद वादिया दिनांक 20.04.2022 को प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार कठूमर को विवादित आराजी का पक्षकारान की मौजूदगी में कानूनी तकासमा कर विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अदालत हाजा में पेश करने के आदेश दिये गये।

तहसीलदार कठूमर ने आदेश की पालना मे विवादित आराजी वावत कुरेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर हाजिर अदालत होकर दिनांक 24.05.2022 को पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर का अवलोकन किया व वहस सुनी गई। तहसीलदार कठूमर ने अपनी कुरेजात रिपोर्ट में आराजी खसरा नम्बर1151/1 रकवा 0.09 हे. 1151/2 रकवा 0.02 हे. किता 2 रकवा 0.11 हे. चा0 सो. वादिया सुमन पुत्री कैलाशचन्द को खसरा नम्बर 1151/3 रकवा 0.06 हे. चा0 सो0 प्रतिवादी सं0 4 बाबू खांन को खसरा नम्बर 1151/4 रकवा 0.16 हे. चा0 सो0 प्रतिवादनी सं0 3 नीलम को खसरा नम्बर 1151/6 रकवा 0.16 हे. चा0 सो0 प्रतिवादी सं0 2 नरेश को खसरा नम्बर 1151/5 रकवा 0.16 हे. चा0 सो0 प्रतिवादी सं0 1 को तकसीम में दिये है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट पर दोनों पक्ष सहमत है किसी पक्ष ने एतराज पेश नहीं किया है।

अतः कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर के मुताविकवाद वादिया अंतिम रूप से डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

दावा वादी मुताविक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1151/1 रकवा 0.09 हे. 1151/2 रकवा 0.02 हे. किता 2 रकवा 0.11 हे. चा0 सो. वादिया सुमन पुत्री कैलाशचन्द को खसरा नम्बर 1151/3 रकवा 0.06 हे. चा0 सो0 प्रतिवादी सं0 4 बाबू खांन को खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

1151/4 रकवा 0.16 हे. चा0 सो0 प्रतिवादनी सं0 3 नीलम को खसरा नम्बर 1151/6 रकवा 0.16 हे. चा0 सो0 प्रतिवादी सं0 2 नरेश को खसरा नम्बर 1151/5 रकवा 0.16 हे. चा0 सो0 प्रतिवादी सं0 1 को तकसीम में दिये जाते है तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादी सं0 1के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी वावत हाल राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खाता कायम करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 03/06/2022 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस
राजस्ववाद संख्या 1/40/2022

1. सुमन पुत्री कैलाश पत्नी बनवारीलाल जाति ब्राहमण निवासी टोडाभीम जिला करोली

------ वादिया

बनाम

1 कुलदीप पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी रोनीजाथान
2. नरे ा पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी रोनीजाथान
3. नीलम पत्नी कुलदीप जाति ब्राहमण निवासी रोनीजाथान
4. बाबू खांन पुत्र हुसैना खान जाति मेव निवासी रोनीजाथान
5. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर (लैण्ड होल्डर)

---- प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादी मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट तहसीलदार कठूमर अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1151/1 रकवा 0.09 हे. 1151/2 रकवा 0.02 हे. किता 2 रकवा 0.11 हे. चा0 सो. वादिया सुमन पुत्री कैलाशचन्द को खसरा नम्बर 1151/3 रकवा 0.06 हे. चा0 सो0 प्रतिवादी सं0 4 बाबू खांन को खसरा नम्बर 1151/4 रकवा 0.16 हे. चा0 सो0 प्रतिवादनी सं0 3 नीलम को खसरा नम्बर 1151/6 रकवा 0.16 हे. चा0 सो0 प्रतिवादी सं0 2 नरेश को खसरा नम्बर 1151/5 रकवा 0.16 हे. चा0 सो0 प्रतिवादी सं0 1 को तकसीम में दिये जाते है तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी एंव प्रतिवादी सं0 1 के हक हिस्सा व तकसीम में मिली आराजी वावत हाल राजस्व रेकार्ड में अलग अलग खाता कायम करें।

आज दिनांक 07.06.22 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री रामकिशोर मीना आर ए एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1/40/2022

वउनवान

1. सुमन पुत्री कैलाश पत्नी बनवारीलाल जाति ब्राहमण निवासी टोडाभीम तहसील टोडाभीम जिला करोली

------वादिया

बनाम

1. कुलदीप पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी रोनीजाथान तहसील कठूमर
2. नरेश पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी रोनीजाथान तहसील कठूमर
3. नीलम पत्नी कुलदीप जाति ब्राहमण निवासी रोनीजाथान तहसील कठूमर
4. बाबू खान पुत्र हुसैना खान जाति मेव निवासी रोनीजाथान तहसील कठूमर
5. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

----- प्रतिवादीगण

दावा तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :-

- श्री भवानी शंकर एडवोकेट–अधिवक्तावादिया की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.04.2022

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद तकसीम व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 1151 रकवा 0.65 हे. वाके ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी वादिया एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी की आराजी है। विवादित आराजी में वादिया का 1/6 हिससा व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी का

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

अभी कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। विवादित आराजी वादिया एंव प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। लगान सरकारी शामलात में अदा कर रहे है। अव पक्षकारान के मध्य शामलात काश्त करने में आपस में झगडा होते रहते है। प्रतिवादीगण विवादित आराजी में शामलात में काश्त करने में रूचि नहीं लेते है इस वजह से वादिया विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराना चाहती है। वादियाने प्रतिवादीगण से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा वावत कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया। अतः वादिया ने विवादित आराजी का अच्छी में से अच्छी व वुरी में से वुरी आराजी तकासमा कराने व मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वादिया ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल संवत् 2076 से 2079 वाके ग्राम रोनीजाथान की सत्यप्रतिलिपी पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

दावा वादिया दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया।दिनांक 20.04.2022 को वादी के प्रार्थना पत्र पर दावा हाजा से प्रतिवादी सं0 3 ला0 6 का नाम तर्क किया गया। वादिया एंव प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया और राजीनामा में कथन किया कि विवादित आराजी में वादिया को उसका हिस्सा सैयद बाबा के थान की तरफ पूर्व वाला जो कोना है उधर वादिया अपना हिस्सा चाहती है। यदि वादिया को उसके अनुसार विवादित आराजी का तकासमा करदिया जावे तो हम सहमत है। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड वादिया एंव प्रतिवादीगण द्वारा तस्दीक कराये राजीनामा का अवलोकन किया। वादिया द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में विवादित आराजी वादिया एंव प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है। जिससे सावित है कि विवादित आराजी का कानूनी तकासमा नहीं हुआ है। हाल जमाबन्दी में बिवादित आराजी पक्षकारान की भाामलात खातेदारी में दर्ज होने से विवादित आराजी का शामलात खातेदारी की अवट होने का अनुमान किया जाता है। प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश कर विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

का कानूनी तकासमा किये जाने की सहमति दी है। अतः दावा वादिया मुताविक राजीनामा प्रारम्भिक रूप से डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादियाप्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो आराजी खसरा नम्बर 1151 रकवा 0.65 हे. वाके ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर पर मौके पर पहुॅच कर पक्षकारान की उपस्थिति में मुताविक हिस्सा जमाबन्दी नियमानुसार कुरेजात रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) तैयार कर नियत दिनांक से पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें ताकि मुकदमा में अंतिम डिकी पारित की जा सके। इस आशय की तहरीर तहसीलदार कठूमर को जारी की जावे।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 20.04.2022 को यह संशोधित निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामकिशोर मीना
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)